| | | |
|---|---|---|
| 27/10/20 | पत्रावली वकील जमीं के मूलवाद मे मिसल तलबी आवेदन पर पेश हुई। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूलवाद खारिज हो चुका है। अतः आवेदन 212 RTA का कोई औचित्य नहीं है आवेदन 212 RTA को ~~[illegible]~~ मानकर पत्रावली खारिज किया पत्रांक अंकित होकर नायब से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ | उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ 28/10/2020 |